आर.एन.आर.

न्यायमूर्ति पर्मोद कोहली के समक्ष

राज राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नाचरौन, रादौर, – याचिकाकर्ता

बनाम

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
और अन्य, — *उत्तरदाता*

सी.डब्ल्यू.पी. 2009 की संख्या 15634

2 फरवरी, 2010

भारत का संविधान,1950- अनुच्छेद ,226-एनसीटीई ने बी.एड पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक स्व-वित्तपोषित गैर-सहायता प्राप्त संस्थान को मान्यता प्रदान की–विश्वविद्यालय ने अनंतिम संबद्धता भी प्रदान की–विश्वविद्यालय ने इमारत के स्थान के संबंध में याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया, जिसका निरीक्षण किया गया और विश्वविद्यालय के साथ-साथ एनसीटीई द्वारा विधिवत अनुमोदित किया गया–पिछले दो शैक्षणिक सत्रो से कॉलेज अंतिम रूप से संचालित हो रहा है–यह मानते हुए कि स्थान में कुछ बदलाव हुआ है, विश्वविद्यालय अपने या किसी छात्र पर कथित परिवर्तन के कारण होने वाले किसी भी पूर्वाग्रह को इंगित करने में विफल रहा है– संबद्धता की किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही ऐसा कोई मामला विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत करने की मांग की गई है–इस प्रकार, विश्वविद्यालय की कार्रवाई उचित नहीं है और रद्द की जा सकती है-याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना संबद्धता रोकना–प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन–याचिका मंजूर।

अभिनिर्णित किया गया कि संस्थान में उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं की जांच करने में विश्वविद्यालय की भूमिका सीमित है। जैसा भी हो वैसा हो याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही निर्धारित मानदंडों के अनुसार बुनियादी सुविधाओं में कमी के कारण नहीं है। यह केवल इमारत के स्थान को लेकर विवाद है। यह वही इमारत है जिसका विश्वविद्यालय और एन.सी.टी.ई. द्वारा निरीक्षण और विधिवत अनुमोदन किया गया था और अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई थी।महाविद्यालय पिछले दो शैक्षणिक सत्र से संचालित हो रहा है। जब तीसरा सत्र शुरू होना था तभी

भवन के स्थान के संबंध में एक मुद्दा उठाया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में भवन का स्थान रादौर के नाचरौन में दिखाया गया है। नाचरौन एक गांव है और रादौर एक उपतहसील है। सोसायटी का मुख्यालय रादौर में है। हर समय एनसीटीई और यूनिवर्सिटी इस स्थिति को कागजों पर ही नहीं बल्कि जमीनी स्तर पर भी स्वीकार करती रही है, यानी यूनिवर्सिटी को संबद्धता क्यों दी गई। यह मानते हुए कि स्थान में कुछ परिवर्तन हुआ है, विश्वविद्यालय ने स्थान के कथित परिवर्तन से उसे या किसी छात्र को हुए किसी भी पूर्वाग्रह और संबद्धता को रोकने का कारण नहीं बताया है। संबद्धता की किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई मामला पेश करने की मांग की गई है। इस प्रकार यूनिवर्सिटी की कार्यवाही उचित नहीं है और रद्द किये जाने योग्य है।

(पैरा 17)

इसके अलावा, यह अभिनिर्णित किया गया कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण यूनिवर्सिटी की कार्रवाई भी रद्द की जा सकती है। कारण बताओ नोटिस में ही याचिकाकर्ता से कारण बताओ पूछते हुए दंडात्मक कार्यवाही की गई है, साथ ही संबद्धता भी रोक दी गई है। दूसरे शब्दों में, सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, याचिकाकर्ता को दंडित किया गया है। इस आधार पर भी आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(पैरा 18)

विकास बहल, अधिवक्ता

सी.बी. गोयल, अधिवक्ता

राज राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन, नाचरौन, रादौर बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र
और अन्य (न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली)

न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली

(1) याचिकाकर्ता बी.एड प्रदान करने के लिए एक सोसायटी द्वारा स्थापित एक स्व-वित्तपोषित, गैर-सहायता प्राप्त संस्थान है। सोसायटी का कार्यालय रादौर में है। सोसायटी ने एन.सी.टी.ई. को मान्यता देने के लिए वर्ष 2007 में आवेदन किया। सभी अपेक्षित औपचारिकताएँ पूरी होने पर, एन.सी.टी.ई. ने अपनी निरीक्षण समिति नियुक्त की। निरीक्षण समिति ने कॉलेज की साइट का दौरा किया और इसकी बुनियादी सुविधाओं का आकलन किया। फैकल्टी और अन्य संबंधित पहलुओं पर अपनी रिपोर्ट एन.सी.टी.ई. को सौंपी। बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के बारे में संतुष्ट होने पर शीर्ष निकाय ने याचिकाकर्ता-संस्था को अपने पत्र दिनांक 28 सितंबर, 2007 के माध्यम से सत्र 2007-08 में 100 छात्रों के प्रारंभिक प्रवेश के साथ बी.एड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए मान्यता दी। याचिकाकर्ता ने यहां प्रतिवादी संख्या 1-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबद्धता के लिए भी आवेदन किया था। विश्वविद्यालय ने कॉलेज के साथ संबंधित सुविधाओं का भी निरीक्षण किया और अपने पत्र दिनांक 4 अक्टूबर, 2007 द्वारा सत्र 2007-08 के लिए 100 छात्रों के प्रवेश के साथ अनंतिम संबद्धता प्रदान की। मान्यता और संबद्धता प्राप्त करते हुए याचिकाकर्ता ने सत्र 2007-08 से 2008-09 के लिए प्रतिवादी-विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परामर्श आदि के आधार पर छात्रों को प्रवेश दिया। वर्ष 2009 में विश्वविद्यालय ने एक और निरीक्षण दल नियुक्त किया। निरीक्षण समिति की रिपोर्ट के आधार पर 25 जून 2009को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया (अनुलग्नक पी-4) याचिकाकर्ता को निम्नानुसार जारी किया गया था– :---

> "जैसा कि निरीक्षण समिति द्वारा बताया गया है और नाचरौन गांव के राजस्व रिकॉर्ड से पुष्टि की गई है" राज राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन रादौर में उस स्थान पर काम नहीं कर रहा है जहां कॉलेज को एनसीटीई द्वारा अनुमोदित किया गया था"। ””.

(2) याचिकाकर्ता से 10 दिन के भीतर जवाब मांगा गया। इस बीच, विश्वविद्यालय ने सत्र 2009-10 के लिए अनंतिम संबद्धता रोक दी और उसे प्रवेश प्रक्रिया में भाग लेने और बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश देने से रोक दिया गया। कार्यवाही से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने ऊपर उल्लिखित कारण बताओ नोटिस को चुनौती देते हुए 2009 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9649 दायर की। हालाँकि, यह रिट याचिका 17 जुलाई, 2009 के आदेश के तहत वैकल्पिक उपाय का लाभ उठाने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले ली गई, जैसा कि अनुबंध पी-5 से स्पष्ट है।

कारण बताओ नोटिस को 31 जुलाई 2009 को विधिवत गठित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष एक अपील में चुनौती दी गई थी। ऐसा प्रतीत होता है कि अपील पर निर्णय नहीं होने पर याचिकाकर्ता ने एक और अभ्यावेदन दिया दिनांकित पत्र 29 सितंबर, 2009।

अपीलीय मामला विचाराधीन था जब अपीलीय प्राधिकारी-प्रतिवादी नंबर 2 ने 1 अक्टूबर, 2009 को आदेश पारित किया (अनुलग्नक पी -8) याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वह बी.एड (नियमित पाठ्यक्रम) सत्र 2009-10 में अनंतिम संबद्धता में विस्तार को रोकने के लिए कोई प्रवेश करने का हकदार नहीं है। तदनुसार, याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट याचिका में 25 जून, 2009 के कारण बताओ नोटिस (अनुलग्नक पी-4) और 1 अक्टूबर, 2009 के आदेश (अनुलग्नक पी-8) को चुनौती दी।

(3) *दिनांक 9 अक्टूबर 2009 के अंतरिम आदेश के तहत प्रस्ताव की सूचना जारी करते हुए निम्नलिखित अंतरिम आदेश पारित किया गया था- —*

> " इस बीच, याचिकाकर्ता-संस्थान को छात्रों के आवंटन के लिए काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। छात्रों को याचिकाकर्ता-संस्थान को भी आवंटित किया जा सकता है। हालांकि, याचिकाकर्ता संस्थान अदालत के आगामी निर्देश के बिना कोई औपचारिक प्रवेश नहीं करेगा।" ””.

(4) प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को नोटिस में रखा गया और अपना रुख दोहराते हुए लिखित बयान दायर किया कि याचिकाकर्ता ने उसे दी गई मान्यता और संबद्धता का उल्लंघन करते हुए रादौर के बजाय गांव नाचरौन में अपना भवन बनाया। विश्वविद्यालय की निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर यह अस्थाई संबद्धता सत्र 2009-10 के लिए रोक दी गई है।

(5) प्रतिवादी-विश्वविद्यालय, की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सी.बी. गोयल ने जोरदार तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता ने गलत बयानी करके संबद्धता प्राप्त की है। उनके अनुसार, याचिकाकर्ता ने अलग जमीन दिखाई है जबकि भवन का निर्माण दूसरी जमीन पर किया गया है, इसलिए संबद्धता रोक दी गई है ।

(6) विश्वविद्यालय द्वारा उठाए गए विवाद की सराहना करने की दृष्टि से, एन.सी.टी.ई. का रिकॉर्ड प्रतिवादी-विश्वविद्यालय से भी तलब किया गया है।

(7) याचिकाकर्ता ने 5 जनवरी 2007 को अपने आवेदन में क्षेत्रीय निदेशक, एनसीटीई को संबोधित किया। जयपुर, भवन निर्माण प्रमाण पत्र, भवन का नक्शा, भूमि के पट्टा विलेख की फोटोकॉपी और ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत किए। संपत्ति के आवेदन के साथ संलग्न पट्टा विलेख के दस्तावेज में नाचरौन गांव में स्थित 26 कनाल भूमि दिखाई गई है। लीज डीड एक विधिवत पंजीकृत दस्तावेज है। भवन के पूर्णता प्रमाणपत्र से यह भी पता चलता है कि भवन राडौर, तहसील जगाधरी, जिला यमुना नगर के नचराण गाँव में स्थित है।संलग्न स्थल योजना से यह भी पता चलता है कि इमारत नाचरौन गांव रादौर में स्थित है।एन.सी.टी.ई. की निरीक्षण टीम ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि यह इमारत रादौर के गांव नाचरौन में स्थित है। यहां तक कि याचिकाकर्ता को जारी मान्यता पत्र भी यही स्थिति दर्शाता है।

(8) मैंने संबद्धता के लिए आवेदन करते समय याचिकाकर्ता द्वारा प्रतिवादी-विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेजों का भी अध्ययन किया है। सभी दस्तावेजों में संपत्ति रादौर के गांव नाचरौन में दिखाई गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि किसी भी स्तर पर याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज में यह संकेत नहीं दिया गया कि संपत्ति रादौर में है। दो निरीक्षण समितियाँ जिनमें से एक एन.सी.टी.ई. द्वारा गठित है और दूसरे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने भवन स्थल का दौरा किया और याचिकाकर्ता-कॉलेज के पास उपलब्ध अपेक्षित बुनियादी ढांचे और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता को प्रमाणित करते हुए अपनी संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत की। किसी भी स्तर पर कॉलेज को यह नहीं बताया गया कि उसने आवेदन या संलग्न दस्तावेजों में दिखाए गए स्थान से भिन्न स्थान पर भवन का निर्माण किया है। कॉलेज 2007-08 से छात्रों को प्रवेश दे रहा है। सत्र 2009-10 शुरू होने से पहले विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अंतिम निरीक्षण में ही यह बात सामने आई थी कि भवन का निर्माण विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत स्थान से भिन्न स्थान पर किया गया है।

(9)विश्वविद्यालय की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री गोयल ने अपने इस तर्क का समर्थन करने के लिए रिट याचिका में दिए गए विभिन्न कथनों का हवाला दिया है कि इमारत का निर्माण एक अलग स्थान पर किया गया है। रिट याचिका के पैरा 3 में याचिकाकर्ता ने उल्लेख किया है कि रादौर,कुरूक्षेत्र यमुनानगर रोड पर यमुनानगर और लाडवा के बीच एक छोटा सा शहर है, जहां नाचरौन गांव रादौर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है और छात्रों को बेहतर पहुंच और सुविधाएं देने की दृष्टि से रादौर की भूमि पर भवन का निर्माण किया गया है।

(10) श्री गोयल ने आगे मान्यता एवं सम्बद्धता पत्र का हवाला दिया है जिसमें कॉलेज का स्थान गांव नाचरौन, रादौर बताया गया है। उपरोक्त कथन और दस्तावेजों के आधार पर, यह पेश करने की कोशिश की गई है कि याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय और एन.सी.टी.ई. को एक अलग जगह दिखाकर गलत तरीके से प्रस्तुत किया है जबकि भवन का निर्माण अन्य स्थान पर करा लिया गया है।

(11) मैंने पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है उस रिकॉर्ड का अवलोकन किया जिसका संदर्भ यहां नीचे दिया गया है।

(12) पक्षकारों का यह स्वीकृत मामला है कि भवन का निर्माण याचिकाकर्ता द्वारा पट्टानामा पर अर्जित भूमि पर किया गया है जिसकी प्रतिलिपि मान्यता/संबद्धता प्रदान करते समय प्रस्तुत की गई थी।। साइट योजना, भवन पूर्णता प्रमाणपत्र इस तथ्य को दर्शाते हैं।यह किसी का मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता के पास दो इमारतों का कब्जा है, एक नाचरौन में और दूसरी रादौर में और एक के संबंध में संबद्धता प्रदान की गई है जबकि कॉलेज दूसरे भवन में संचालित किया जा रहा है।इसके विपरीत, यह रिकॉर्ड पर है और अब स्वीकार की गई तथ्यात्मक स्थिति है कि याचिकाकर्ता के पास केवल एक इमारत है, जिसे आवेदन पत्र और मानचित्रों में दिखाया गया था और एनसीटीई की निरीक्षण समितियों और विश्वविद्यालय द्वारा निरीक्षण किया गया था।इस तरह के निरीक्षण और अपेक्षित बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता से संतुष्ट होने के बाद, याचिकाकर्ता को मान्यता/संबद्धता प्रदान की गई। विश्वविद्यालय द्वारा अनंतिम संबद्धता प्रदान करने की तारीख से दो साल की अवधि के बाद विवाद उठाने की मांग की गई है। जहां तक ढांचागत सुविधा का सवाल है, यह एनसीटीई का एकमात्र विशेषाधिकार है, जो शीर्ष निकाय है जो कॉलेज/संस्थान की स्थापना के लिए मान्यता देने का अधिकार रखता है।विश्वविद्यालय केवल एक परीक्षा निकाय है और विश्वविद्यालय को परीक्षा आयोजित करने और डिग्री प्रदान करने में सक्षम बनाने के लिए संबद्धता आवश्यक है। यह एनसीटीई है, जिसने ढांचागत सुविधाओं के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं और इस पहलू की जांच करने का एकमात्र भंडार है, जबकि विश्वविद्यालय मुख्य रूप से संकाय और शिक्षा संबंधी सुविधाओं से संबंधित है।एन.सी.टी.ई. ने किसी भी स्तर पर बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और यहां तक कि वर्तमान स्थान पर कॉलेज चलाने के याचिकाकर्ता के अधिकार पर विवाद नहीं किया गया, जहां एकमात्र भवन का निर्माण किया गया है और जहां से कॉलेज संचालित किया जा रहा है। एक अन्य संबंधित प्रश्न यह भी है कि विश्वविद्यालय की भूमिका और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में उसके हस्तक्षेप की सीमा है।इस मुद्दे पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम संत ज्ञानेश्वर शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय (1)** के मामले में विचार किया है:-

"48

इस मामले में भाग लेने से पहले, हम यह बता सकते हैं कि कि एक स्तर पर, उच्च न्यायालय ने देखा था कि "जहां तक विश्वविद्यालय संबंधित है,एनसीटीई एक्ट की धारा 15 के प्रावधानों पर विचार करते हुए धारा 14 के तहत एक बार अनुमति दे दी गई है। विश्वविद्यालय अधिनियम, नियम और क़ानून की शर्तों के अनुसार सम्बद्धता प्रदान करने के लिए बाध्य है। धारा 83 के लिए विश्वविद्यालय से अपेक्षा की जाती है किमहाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम धारा 82के तहत अनुमति मिलने के बाद ही संबद्धता प्रदान करें।उस सीमा तक धारा 82 और 83 के प्रावधान एनसीटीई अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत हैं और अमान्य हैं।

49.हमारी राय में, यह टिप्पणी कि महाराष्ट्र विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82 और 83 के प्रावधान "शून्य और अमान्य हैं, सही नहीं कहा जा सकता है। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि उच्च न्यायालय यह बताना चाहता था कि धारा 82 और 83 के प्रावधान 1993 अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थान पर लागू नहीं होंगे। अधिनियम की योजना के अनुसार, एक बार अधिनियम की धारा 14(6) के तहत एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान कर दी गई है। प्रत्येक विश्वविद्यालय (परीक्षा निकाय) ऐसे संस्थान को संबद्धता प्रदान करने के लिए बाध्य है और विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 82 और 83 ऐसे मामलों पर लागू नहीं होती हैं।

(13) इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने **नैन्सी कॉलेज ऑफ एजुकेशन और अन्य बनाम पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और अन्य (2)** के मामले में भी इसी तरह के विवाद की जांच की।उपरोक्त मामले में भी पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला ने कुछ कमियों के कारण याचिकाकर्ता को दी गई संबद्धता रद्द कर दी। माननीय खण्डपीठ ने निम्नलिखित मुद्दे विचारार्थ किये:-

""“विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या और किस हद तक शिक्षक प्रशिक्षण कॉलेज के बुनियादी ढांचे की उपलब्धता की जांच करने में विश्वविद्यालय की भूमिका है और जहां बनी राय में विरोधाभास है, क्या विश्वविद्यालय एनसीटीई द्वारा दी गई संबद्धता प्रतिपादन मान्यता निरर्थक होना पर वापस ले सकता है"

(14)उपरोक्त प्रश्नों का उत्तर देने के उद्देश्य से, माननीय डिवीजन बेंच ने **महाराष्ट्र राज्य बनाम शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय** के मामले में फैसले का जिक्र करते हुए निम्नानुसार कहा:---

"संत ज्ञानेश्वर (सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के मद्देनजर, जिसके बाद इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच ने मांगे राम (सुप्रा) में अपना फैसला सुनाया, हमारा विचार है कि मुद्दा याचिकाकर्ताओं के पक्ष में समाप्त हो गया है और यह माना जाना चाहिए कि एनसीटीई द्वारा मान्यता प्रदान करने के बाद संबद्धता का अनुदान स्वचालित रूप से होता है।"

(15)माननीय डिवीजन बेंच ने आगे दो विधानों के दायरे की जांच की और निम्नानुसार कहा:--

"एनसीटीई "माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में विश्लेषण के अनुसार एनसीटीई अधिनियम की योजना यह है कि उक्त अधिनियम संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची। की प्रविष्टि 66 के संदर्भ में अधिनियमित किया गया है, विश्वविद्यालय अधिनियम सहित कोई भी राज्य अधिनियम लागू होगा। केंद्रीय अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों को खत्म न करें। चूंकि केंद्रीय अधिनियम की योजना के तहत, एनसीटीई को बुनियादी ढांचे की उपलब्धता के संदर्भ में निरीक्षण करने और यह निर्धारित करने की वैधानिक शक्ति दी गई है कि क्या कोई शैक्षणिक संस्थान मान्यता का हकदार था, कोई भी विपरीत दृष्टिकोण राज्य अधिनियम के तहत कोई भी प्राधिकारी एनसीटीई की शक्ति को खत्म नहीं कर सकता है और इस प्रकार दी गई मान्यता को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता है। एनसीटीई द्वारा स्पष्ट रुख अपनाया गया है कि याचिकाकर्ता कॉलेज ने मान्यता के लिए सभी मानदंडों को पूरा किया है। ऐसी परिस्थितियों में, संबद्धता का पालन करना अनिवार्य था और जब तक मान्यता क्रियाशील थी तब तक संबद्धता रद्द करना स्वीकार्य नहीं था। परीक्षा निकाय का अधिकार परीक्षा में छात्रों का मूल्यांकन करना और परीक्षा आयोजित करना है और उस सीमा तक विश्वविद्यालय को कानून के अनुसार पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त हो सकती है लेकिन विश्वविद्यालय अनुदान और मान्यता जारी रखने के मुद्दे पर एनसीटीई की शक्ति का अतिक्रमण नहीं कर सकता। संबद्धता रद्द करके मान्यता को निरर्थक नहीं बनाया जा सकता।"

(16)तदनुसार विश्वविद्यालय को अपनी रिपोर्ट एनसीटीई को विचारार्थ भेजने की सलाह दी गई और संबद्धता रद्द करने की विश्वविद्यालय की कार्रवाई को रद्द कर दिया गया।

(17)पउपरोक्त कानूनी प्रस्ताव के मद्देनजर जो बात सामने आती है वह यह है कि संस्थान के पास उपलब्ध ढांचागत सुविधाओं की जांच करने में विश्वविद्यालय की भूमिका सीमित है। जो भी हो, याचिकाकर्ता के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही निर्धारित मानदंडों के अनुसार बुनियादी सुविधाओं में कमी के कारण नहीं है। यह केवल इमारत के स्थान को लेकर विवाद है। यह वही इमारत है जिसका विश्वविद्यालय और एन.सी.टी.ई. द्वारा निरीक्षण और विधिवत

अनुमोदन किया गया था। और अनंतिम संबद्धता प्रदान की गई। महाविद्यालय पिछले दो शैक्षणिक सत्र से संचालित हो रहा है।जब तीसरा सत्र शुरू होना था तभी कोई मुद्दा भवन के स्थान के संबंध में उठाया जाना था।

राज राजेश्वरी कॉलेज ऑफ एजुकेशन नाचरौन, रादोर बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र और अन्य

(न्यायमूर्ति प्रमोद कोहली)

याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजों में भवन का स्थान रादौर के नाचरौन में दिखाया गया है। नाचरौन एक गांव है और रादौर एक उपतहसील है। सोसायटी का मुख्यालय रादौर में है। हर समय, एन.सी.टी.ई. और विश्वविद्यालय इस स्थिति को न केवल कागजों पर बल्कि जमीनी स्तर पर भी स्वीकार करता रहा है अर्थात विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता क्यों प्रदान की गई? यह मानते हुए कि स्थान में कुछ परिवर्तन हुआ है, विश्वविद्यालय ने स्थान के कथित परिवर्तन से उसे या किसी छात्र को हुए किसी भी पूर्वाग्रह और संबद्धता को रोकने का कारण नहीं बताया है। संबद्धता की किसी भी शर्त का कोई उल्लंघन नहीं किया गया है और न ही विश्वविद्यालय द्वारा ऐसा कोई मामला पेश करने की मांग की गई है। इस प्रकार, विश्वविद्यालय की कार्यवाही उचित नहीं है और रद्द किये जाने योग्य है।

(18) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन होने के कारण विश्वविद्यालय की कार्यवाही भी निरस्त किये जाने योग्य है। कारण बताओ नोटिस अनुलग्नक पी-4 में ही याचिकाकर्ता से कारण बताओ पूछते हुए दंडात्मक कार्यवाही की गई है, साथ ही संबद्धता भी रोक दी गई है। दूसरे शब्दों में, सुनवाई का कोई अवसर दिए बिना, याचिकाकर्ता को दंडित किया गया है। इस आधार पर भी आक्षेपित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(19)*9 अक्टूबर 2009 के अंतरिम आदेश द्वारा याचिकाकर्ता को 100 छात्रों को काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति देकर आवंटित करने का निर्देश जारी किया गया था। श्री विकास बहल, वकील ने तर्क दिया है कि छात्रों को आवंटित किया गया है, हालांकि, प्रवेश नहीं दिया गया है, इस न्यायालय द्वारा इसकी अनुमति नहीं दी गई है। आक्षेपित आदेश को रद्द करने के साथ, याचिकाकर्ता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन प्रवेश करने का हकदार होगा: —*

(i) यदि छात्रों को आवंटित किया गया है और वे उपलब्ध हैं और प्रवेश लेने के इच्छुक हैं।

(ii) यदि याचिकाकर्ता परीक्षा से पहले अपेक्षित आवश्यक व्याख्यान पूरा करने की स्थिति में है, जिसके लिए विश्वविद्यालय मूल्यांकन करेगा और आवश्यक निर्देश जारी करेगा।

(20तदनुसार, यह याचिका उपरोक्त तरीके से स्वीकार की जाती है।

आर.एन.आर.

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

जोगिंद्र जांगड़ा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

हथीन, हरियाणा